(12)

न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द पोसवाल,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 107/2012

दायर दिनांक 23.10.2012

निर्णय दिनांकः 25.02.2019

अनवान् मुकदमा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजसमन्द

————प्रार्थी

बनाम

श्री केसरसिंह पिता उदेसिंह राजपूत निवासी कड़ेचों का गुड़ा मजरा पीपलांत्रीकलां तहसील व जिला राजसमंद मृतक वारिस

1— श्री पूरणसिंह माता सोसरबाई पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी ग्राम सिरोड़ी तहसील आमेट जिला राजसमंद

2— श्री महेन्द्रसिंह माता सोसरबाई पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी ग्राम बाघसिंह जी का नाड़ा ग्राम पंचायत साकरोदा तहसील व जिला राजसमंद

3— श्री ललितसिंह माता सोसरबाई पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी ग्राम बाघसिंह जी का नाड़ा ग्राम पंचायत साकरोदा तहसील व जिला राजसमंद

4— मोहनीबाई पत्नी स्व0 केसरसिंह राजपूत निवासी ग्राम सिरोड़ी तहसील आमेट जिला राजसमंद

————अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

2— अप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपलांत्रीखुर्द तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.12 बीघा किस्म बारानी iii,खसरा नम्बर 862 रकबा 0.07 बीघा किस्म वारानी iii, खसरा नम्बर 863/2 रकबा 0.15 बीघा किस्म बारानी iii व खसरा नम्बर 929/863 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी iii भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 120/71 दिनांक 20.09.1973 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री केसरसिंह पिता उदेसिंह राजपूत के नाम पर नियमन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 78 के द्वारा अप्रार्थी श्री केसरसिंह राजपूत के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी जो उत्तराधिकार से अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।

भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2023 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 699 मि0 रकबा 04.19 बीघा किस्म नाला होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 699 रकबा 04.19 बीघा किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं

है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि होने से अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकीन किस्म नाला दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 श्री पूरणसिंह दिनांकः 07.08.2018 को उपस्थित हुआ और उसके द्वारा यह निवेदन किया गया कि मुझे सभी अप्रार्थीगण/वारिसान की ओर प्रकरण में वकील का वकालतनामा व जवाब पेश कराने हेतु अवसर प्रदान कराया जावें इस पर अप्रार्थीगण को अवसर प्रदान किया गया किन्तु इसके पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित ही नहीं हुआ हैं।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पीपलांत्रीखुर्द तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.12 बीघा किस्म बारानी iii,खसरा नम्बर 862 रकबा 0.07 बीघा किस्म बारानी iii, खसरा नम्बर 863/2 रकबा 0.15 बीघा किस्म बारानी iii व खसरा नम्बर 929/863 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी iii भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 120/71 दिनांक 20.09.1973 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री केसरसिंह पिता उदेसिंह राजपूत के नाम पर नियमन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 78 के द्वारा अप्रार्थी श्री केसरसिंह राजपूत के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी जो उत्तराधिकार से अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2023 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 699 मि0 रकबा 04.19 बीघा किस्म नाला होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 699 रकबा 04.19 बीघा किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला बिलानाम गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों अर्थात् राजस्व स्वामित्व के जल प्रवाह एवं जल संग्रहण की खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील ,तालाब आदि जलाशयों व नदी नाला आदि की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा,88 एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए। अतः उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । ग्राम पीपलांत्रीखुर्द तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.12 बीघा किस्म बारानी iii,खसरा नम्बर 862 रकबा 0.07 बीघा किस्म बारानी iii, खसरा नम्बर 863/2 रकबा 0.15 बीघा किस्म बारानी iii व खसरा नम्बर 929/863 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी ii भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 120/71 दिनांक 20.09.1973 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री केसरसिंह पिता उदेसिंह राजपूत के नाम पर नियमन होने से जरिये

नामान्तरण संख्या 78 के द्वारा अप्रार्थी श्री केसरसिंह राजपूत के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी जो उत्तराधिकार से अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। जबकि रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थीगण कानूनन् अधिकारिता नहीं रखते है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपलांत्रीखुर्द तहसील राजसमन्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 840/1 रकबा 0.12 बीघा किस्म बारानी iii,खसरा नम्बर 862 रकबा 0.07 बीघा किस्म बारानी iii, खसरा नम्बर 863/2 रकबा 0.15 बीघा किस्म बारानी iii व खसरा नम्बर 929/863 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी iii भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 120/71 दिनांक 20.09.1973 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री केसरसिंह पिता उदेसिंह राजपूत के नाम पर नियमन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 78 के द्वारा अप्रार्थी श्री केसरसिंह राजपूत के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी जो उत्तराधिकार से अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज राजस्व रेकार्ड की गयी उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नाला राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)